

कार्यालय-मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवा0अरा0/

534

/3क(1)/स्था0/2013-14 दिनांक 14 नवम्बर 2013.

विज्ञप्ति/स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-201(A)/xxiv-2/2013-32 (01) /2013 देहरादून दिनांक 21 मई 2013 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013" में उल्लिखित प्राविधानानुसार एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक/सवाय-2/56033-38/स्थाना0/2013-14 दिनांक 31.10.2013 के अनुपालन में नियमावली की धारा-11 (3) (घ) विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता शिक्षिकाओं के आवेदन पत्रों में उल्लिखित श्रेणी के आधार पर निम्नांकित प्रवक्ता (सामान्य/महिला संवर्ग) को उनके नाम के सम्मुख रतम्भ-5 में अंकित विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है। यदि किसी शिक्षिका द्वारा कोई तथ्य छुपाया गया हो अथवा प्रस्तुत प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो, सम्बन्धित शिक्षिका का स्थानान्तरण आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा एवं सम्बन्धित के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

प्रवक्ता वेतनक्रम (महिला संवर्ग)

विषय:-भूगोल

क्र० सं०	अध्यापक/अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती गीता	रा0क0इ0का0 पाबौ (पाबौ)	पौड़ी गढ़वाल	रा0क0इ0का0 देवप्रयाग (देवप्रयाग)	टिहरी गढ़वाल	रिक्त पद के प्रति

(नरेन्द्र सिंह राणा)

मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0)

गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पू0सं0/ सेवा0अरा0/ 19261-69 /3क(1)/स्था0/2013-14 दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- संबन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि प्रवक्ताओं के स्थानान्तरण आदेश संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों/प्रधानाचार्यों को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें तथा दिनांक 31.12.2013 तक कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
- संबन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- संबन्धित वित्त अधिकारी।
- संबन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्डल (द्वारा संबन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी) को इस आशय से कि संबन्धित शिक्षिका को कार्यभार मुक्त एवं ग्रहण करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं अपने विकासखण्ड के कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें।
- सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि ये सम्बन्धित शिक्षिका के प्रमाण पत्रों की मूल प्रमाण पत्रों से जांच करने के उपरान्त अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखें। साथ ही सम्बन्धित शिक्षिका के कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध करायें।
- संबन्धित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ प्रेषित।
- कार्यालय आदेश पंजिका।
- संबन्धित पत्रावली।

(नरेन्द्र सिंह राणा)

मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0)

गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

कार्यालय-मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवा0अरा0/

531

/3क(1)/स्था0/2013-14 दिनांक 14 नवम्बर 2013,

विज्ञापित/स्थानान्तरण,

उत्तराखण्ड शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-201(A)/xxiv-2/2013-32 (01) /2013 देहरादून दिनांक 21 मई 2013 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013" में उल्लिखित प्राविधानानुसार एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक/सवायें-2/56033-38/स्था0/2013-14 दिनांक 31.10.2013 के अनुपालन में नियमावली की धारा-11 (3)(ग) गम्भीर रूप से बीमार शिक्षक/शिक्षिकाओं के चिकित्सा प्रमाण पत्रों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी से सत्यापन के उपरान्त निम्नांकित पात्र प्रवक्ता (सामान्य/महिला संवर्ग) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है। यदि किसी शिक्षक/शिक्षिका द्वारा कोई तथ्य छुपाया गया हो अथवा प्रस्तुत चिकित्सा प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है, तो, सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका का स्थानान्तरण आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा एवं सम्बन्धित के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

प्रवक्ता (सामान्य संवर्ग)

विषय:-अर्थशास्त्र

क्र० सं०	अध्यापक/अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री महावीर सिंह कोटला	रा0इ0का0 कण्डारा (पौड़ी)	पौड़ी गढ़वाल	रा0इ0का0 सारी (जयहरीखाल)	पौड़ी गढ़वाल	रिक्त पद के प्रति

(नरेन्द्र सिंह राणा)

मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0)

गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पू0सं0/ सेवा0अरा0/14234-42 /3क(1)/स्था0/2013-14 दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
3. संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि प्रवक्ताओं के स्थानान्तरण आदेश संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों/प्रधानाचार्यों को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें तथा दिनांक 31.12.2013 तक कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
4. संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5. संबंधित वित्त अधिकारी।
6. संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्डल (द्वारा संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी) को इस आशय से कि संबंधित शिक्षक/शिक्षिका को कार्यभार मुक्त एवं ग्रहण करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं अपने विकासखण्ड के कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें।
7. सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि वे सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका के चिकित्सा एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रमाण पत्रों से जांच करने के उपरान्त अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखें तथा सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका से चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने वाली संस्था अथवा चिकित्सा परिषद से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा कि वह शिक्षण कार्य करने में सक्षम हैं, सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को कार्यमुक्त करना/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। साथ ही सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका के कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध करायें।
8. संबंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ प्रेषित।
9. कार्यालय आदेश पंजिका।
10. संबंधित पत्रावली।

(नरेन्द्र सिंह राणा)

मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0)

गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

कार्यालय-मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवा0अरा0/

524

/3क(1)/स्था0/2013-14 दिनांक 16 नवम्बर 2013,

विज्ञापित/स्थानान्तरण,

उत्तराखण्ड शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-201(A)/XXiv-2/2013-32 (01) /2013 देहरादून दिनांक 21 मई 2013 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013" में उल्लिखित प्राविधानानुसार एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक/सवायें-2/56033-38/स्थाना0/2013-14 दिनांक 31.10.2013 के अनुपालन में नियमावली की धारा-11 (3)(ग) गम्भीर रूप से बीमार शिक्षक/शिक्षिकाओं के चिकित्सा प्रमाण पत्रों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी से सत्यापन के उपरान्त निम्नांकित पात्र प्रवक्ता (सामान्य/महिला संवर्ग) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है। यदि किसी शिक्षक/शिक्षिका द्वारा कोई तथ्य छुपाया गया हो अथवा प्रस्तुत चिकित्सा प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है, तो, सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका का स्थानान्तरण आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा एवं सम्बन्धित के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

प्रवक्ता (सामान्य संवर्ग)

विषय:-अंग्रेजी

क्र० सं०	अध्यापक/अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री धूम सिंह नेगी	रा0इ0का0 बछुवाबाग (गैरसैण)	चमोली	रा0इ0का0 मेहलचौरी (गैरसैण)	चमोली	रिक्त पद के प्रति
2	श्रीमती संगीता जयाड़ा	रा0इ0का0 सौरा (डुण्डा)	उत्तरकाशी	रा0इ0का0 बुल्लावाला (डोईवाला)	देहरादून	रिक्त पद के प्रति

(नरेन्द्र सिंह राणा)

मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0)

गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पू0सं0/ सेवा0अरा0/ 19161-69 /3क(1)/स्था0/2013-14 दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- संबन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि प्रवक्ताओं के स्थानान्तरण आदेश संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों/प्रधानाचार्यों को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें तथा दिनांक 31.12.2013 तक कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
- संबन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- संबन्धित विलत अधिकारी।
- संबन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्डल (द्वारा संबन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी) को इस आशय से कि संबन्धित शिक्षक/शिक्षिका को कार्यभार मुक्त एवं ग्रहण करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं अपने विकासखण्ड के कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें।
- सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि वे सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका के चिकित्सा एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रमाण पत्रों से जांच करने के उपरान्त अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखें तथा सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका से चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने वाली संस्था अथवा चिकित्सा परिषद से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा कि वह शिक्षण कार्य करने में सक्षम हैं, सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को कार्यमुक्त करना/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। साथ ही सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका के कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध करायें।
- संबन्धित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ प्रेषित।
- कार्यालय आदेश पंजिका।
- संबन्धित पत्रावली।

(नरेन्द्र सिंह राणा)

मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0)

गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

कार्यालय-मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवा0अरा0/

530

/3क(1)/स्था0/2013-14 दिनांक 14 नवम्बर 2013,

विज्ञप्ति/स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-201(A)/xxiv-2/2013-32 (01) /2013 देहरादून दिनांक 21 मई 2013 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013" में उल्लिखित प्राविधानानुसार एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक/सवायें-2/56033-38/स्था0/2013-14 दिनांक 31.10.2013 के अनुपालन में नियमावली की धारा-11 (3)(ग) गम्भीर रूप से बीमार शिक्षक/शिक्षिकाओं के चिकित्सा प्रमाण पत्रों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी से सत्यापन के उपरान्त निम्नांकित पात्र प्रवक्ता (सामान्य/महिला संवर्ग) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-8 में अंकित विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है। यदि किसी शिक्षक/शिक्षिका द्वारा कोई तथ्य छुपाया गया हो अथवा प्रस्तुत चिकित्सा प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है, तो, सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका का स्थानान्तरण आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा एवं सम्बन्धित के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

प्रवक्ता (महिला संवर्ग)

विषय:-रसायन विज्ञान

क्र० सं०	अध्यापक/अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती दीप्ति रावत	रा0बा0इ0का0 बीरौखाल (बीरौखाल)	पौड़ी गढ़वाल	रा0बा0इ0का0 धीरवाली (बहादुराबाद)	हरिद्वार	रिक्त पद के प्रति

(नरेन्द्र सिंह राणा)

मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0)

गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पृ0सं0/ सेवा0अरा0/ 1925-23 /3क(1)/स्था0/2013-14 दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 2 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 3 संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि प्रवक्ताओं के स्थानान्तरण आदेश संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों/प्रधानाचार्यों को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें तथा दिनांक 31.12.2013 तक कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
- 4 संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 5 संबंधित वित्त अधिकारी।
- 6 संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्डल (द्वारा संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी) को इस आशय से कि संबंधित शिक्षक/शिक्षिका को कार्यभार मुक्त एवं ग्रहण करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं अपने विकासखण्ड के कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें।
- 7 सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि वे सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका के चिकित्सा एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रमाण पत्रों से जाँच करने के उपरान्त अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखें तथा सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका से चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने वाली संस्था अथवा चिकित्सा परिषद से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा कि वह शिक्षण कार्य करने में सक्षम हैं, सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को कार्यमुक्त करना/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। साथ ही सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका के कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध करायें।
- 8 संबंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ प्रेषित।
- 9 कार्यालय आदेश पंजिका।
- 10 संबंधित पत्रावली।

(नरेन्द्र सिंह राणा)

मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0)

गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

कार्यालय-मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवा0अरा0/ 525

/3क(1)/स्था0/2013-14 दिनोंक 14 नवम्बर 2013,

विज्ञापित/स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-201(A)/XXIV-2/2013-32 (01) /2013 देहरादून दिनोंक 21 मई 2013 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013" में उल्लिखित प्राविधानानुसार एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक/सवायें-2/56033-38/स्था0/2013-14 दिनांक 31.10.2013 के अनुपालन में नियमावली की धारा-11 (3)(ग) गम्भीर रूप से बीमार शिक्षक/शिक्षिकाओं के चिकित्सा प्रमाण पत्रों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी से सत्यापन के उपरान्त निम्नांकित पात्र प्रवक्ता (सामान्य/महिला संवर्ग) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है। यदि किसी शिक्षक/शिक्षिका द्वारा कोई तथ्य छुपाया गया हो अथवा प्रस्तुत चिकित्सा प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है, तो, सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका का स्थानान्तरण आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा एवं सम्बन्धित के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

प्रवक्ता (सामान्य संवर्ग)

विषय:-नागरिक शास्त्र

क्र० सं०	अध्यापक/अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री योगेन्द्र प्रसाद डंगवाल	रा0इ0का0 नागराजाधार कड़ाकोट (कीर्तिनगर)	टिहरी गढ़वाल	रा0इ0का0 श्रीनगर (खिर्सू)	पौड़ी गढ़वाल	रिक्त पद के प्रति

(नरेन्द्र सिंह राणा)

मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0)

गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पू0सं0/ सेवा0अरा0/ 19.10.13

/3क(1)/स्था0/2013-14 दिनोंक तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- संबन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि प्रवक्ताओं के स्थानान्तरण आदेश संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों/प्रधानाचार्यों को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें तथा दिनांक 31.12.2013 तक कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करावें।
- संबन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- संबन्धित वित्त अधिकारी।
- संबन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्डल (द्वारा संबन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी) को इस आशय से कि संबन्धित शिक्षक/शिक्षिका को कार्यभार मुक्त एवं ग्रहण करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं अपने विकासखण्ड के कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें।
- सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि वे सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका के चिकित्सा एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रमाण पत्रों से जांच करने के उपरान्त अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखें तथा सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका से चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने वाली संस्था अथवा चिकित्सा परिषद से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा कि वह शिक्षण कार्य करने में सक्षम हैं, सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को कार्यमुक्त करना/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। साथ ही सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका के कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध करावें।
- संबन्धित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ प्रेषित।
- कार्यालय आदेश पंजिका।
- संबन्धित पत्रावली।

(नरेन्द्र सिंह राणा)

मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0)

गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

कार्यालय-मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवा0अरा0/

528

/3क(1)/स्था0/2013-14 दिनांक 14 नवम्बर 2013.

विज्ञापित/स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-201(A)/XXiv-2/2013-32 (01) /2013 देहरादून दिनांक 21 मई 2013 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013" में उल्लिखित प्राविधानानुसार एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक/सवाये-2/56033-38/स्थाना0/2013-14 दिनांक 31.10.2013 के अनुपालन में नियमावली की धारा-11 (3)(ग) गम्भीर रूप से बीमार शिक्षक/शिक्षिकाओं के चिकित्सा प्रमाण पत्रों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी से सत्यापन के उपरान्त निम्नांकित पात्र प्रवक्ता (सामान्य/महिला संवर्ग) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है। यदि किसी शिक्षक/शिक्षिका द्वारा कोई तथ्य छुपाया गया हो अथवा प्रस्तुत चिकित्सा प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है, तो, सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका का स्थानान्तरण आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा एवं सम्बन्धित के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

प्रवक्ता (सामान्य संवर्ग)

विषय:-वाणिज्य

क0 सं0	अध्यापक/अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री राकेश बाबू निरंजन	रा0इ0का0 अगस्त्यमुनि (अगस्त्यमुनि)	रूद्रप्रयाग	रा0इ0का0 कोटद्वार (दुगड्डा)	पौड़ी गढ़वाल	रिक्त पद के प्रति

(नरेन्द्र सिंह राणा)

मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0)

गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पू0सं0/ सेवा0अरा0/19197-205/3क(1)/स्था0/2013-14 दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 2 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 3 संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि प्रवक्ताओं के स्थानान्तरण आदेश संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों/प्रधानाचार्यों को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें तथा दिनांक 31.12.2013 तक कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
- 4 संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 5 संबंधित विल अधिकारी।
- 6 संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्डल (द्वारा संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी) को इस आशय से कि संबंधित शिक्षक/शिक्षिका को कार्यभार मुक्त एवं ग्रहण करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें एवं अपने विकासखण्ड के कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें।
- 7 सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि वे सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका के चिकित्सा एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रमाण पत्रों से जांच करने के उपरान्त अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखें तथा सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका से चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने वाली संस्था अथवा चिकित्सा परिषद से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा कि वह शिक्षण कार्य करने में सक्षम हैं, सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को कार्यमुक्त करना/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। साथ ही सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका के कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध करायें।
- 8 संबंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ प्रेषित।
- 9 कार्यालय आदेश पंजिका।
- 10 संबंधित पत्रावली।

(नरेन्द्र सिंह राणा)

मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0)

गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

कार्यालय-मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवा0अरा0/

529

/3क(1)/स्था0/2013-14 दिनांक 14 नवम्बर 2013.

विज्ञापित/स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-201(A)/xxiv-2/2013-32 (01) /2013 देहरादून दिनांक 21 मई 2013 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013" में उल्लिखित प्राविधानानुसार एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक/सवायें-2/56033-38/स्था0/2013-14 दिनांक 31.10.2013 के अनुपालन में नियमावली की धारा-11 (3)(ग) गम्भीर रूप से बीमार शिक्षक/शिक्षिकाओं के चिकित्सा प्रमाण पत्रों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी से सत्यापन के उपरान्त निम्नांकित पात्र प्रवक्ता (सामान्य/महिला संवर्ग) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है। यदि किसी शिक्षक/शिक्षिका द्वारा कोई तथ्य छुपाया गया हो अथवा प्रस्तुत चिकित्सा प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है, तो, सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका का स्थानान्तरण आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा एवं सम्बन्धित के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

प्रवक्ता (सामान्य संवर्ग)

विषय:-हिन्दी

क्र० सं०	अध्यापक/अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती रश्मि पोखरियाल	रा0इ0का0 मवाधार (कल्जीखाल)	पौड़ी गढ़वाल	रा0इ0का0 मियावाला (डोईवाला)	देहरादून	रिक्त पद के प्रति

(नरेन्द्र सिंह राणा)

मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0)

गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पू0सं0/ सेवा0अरा0/ 19206-14 /3क(1)/स्था0/2013-14 दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 2 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 3 संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि प्रवक्ताओं के स्थानान्तरण आदेश संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों/प्रधानाचार्यों को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें तथा दिनांक 31.12.2013 तक कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
- 4 संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 5 संबंधित वित्त अधिकारी।
- 6 संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्डल (द्वारा संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी) को इस आशय से कि संबंधित शिक्षक/शिक्षिका को कार्यभार मुक्त एवं ग्रहण करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं अपने विकासखण्ड के कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें।
- 7 सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि वे सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका के चिकित्सा एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रमाण पत्रों से जांच करने के उपरान्त अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखें तथा सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका से चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने वाली संस्था अथवा चिकित्सा परिषद से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा कि वह शिक्षण कार्य करने में सक्षम हैं, सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को कार्यमुक्त करना/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। साथ ही सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका के कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध करायें।
- 8 संबंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ प्रेषित।
- 9 कार्यालय आदेश पंजिका।
- 10 संबंधित पत्रावली।

(नरेन्द्र सिंह राणा)

मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0)

गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

कार्यालय-मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी

आदेश संख्या/सेवा0अरा0/ 532

/3क(1)/स्था0/2013-14 दिनांक 14 नवम्बर 2013.

विज्ञापित/स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-201(A) /XXIV-2/2013-32 (01) /2013 देहरादून दिनांक 21 मई 2013 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013" में उल्लिखित प्राविधानानुसार एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक /सेवायें-2/56033-38/स्थाना0/2013-14 दिनांक 31.10.2013 के अनुपालन में नियमावली की धारा-11 (3)(घ) मानसिक एवं शारीरिक रूप से विकसित बच्चों के चिकित्सा प्रमाण पत्रों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी से सत्यापन के उपरान्त निम्नांकित पात्र प्रवक्ता (सामान्य/महिला संवर्ग) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है। यदि किसी शिक्षक/शिक्षिका द्वारा कोई तथ्य छुपाया गया हो अथवा प्रस्तुत चिकित्सा प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है, तो सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका का स्थानान्तरण आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा एवं सम्बन्धित के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

प्रवक्ता-सामान्य संवर्ग

विषय:-अर्थशास्त्र

क्र० सं०	अध्यापक/ अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री प्रताप सिंह राणा	रा0इ0का0 बिनकखाल (भिलंगना)	टिहरी गढ़वाल	रा0इ0का0 पुरोला (पुरोला)	उत्तरकाशी	रिक्त पद के प्रति

(नरेन्द्र सिंह राणा)

मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0)

गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पू0सं0/ सेवा0अरा0/19243-51 /3क(1)/स्था0/2013-14 दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 2 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 3 संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि प्रवक्ताओं के स्थानान्तरण आदेश संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों/प्रधानाचार्यों को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें तथा दिनांक 31.12.2013 तक कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
- 4 संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 5 संबंधित वित्त अधिकारी।
- 6 संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्डल (द्वारा संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी) को इस आशय से कि संबंधित शिक्षक/शिक्षिका को कार्यभार मुक्त एवं ग्रहण करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं अपने विकासखण्ड के कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें।
- 7 संबंधित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि वे संबंधित प्रवक्ता को कार्यमुक्त करने से पूर्व सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका से उनके विकसित बच्चों का चिकित्सा प्रमाण पत्र जो चिकित्सा परिषद से निर्गत हो, से प्रमाणित करने के उपरान्त छाया प्रति अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखें। साथ ही सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका के कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध करायें।
- 8 संबंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ प्रेषित।
- 9 कार्यालय आदेश पंजिका।
- 10 संबंधित पत्रावली।

(नरेन्द्र सिंह राणा)

मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0)

गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

कार्यालय-मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवा0अरा0/

533

/3क(1)/स्था0/2013-14 दिनोंक 14 नवम्बर 2013,
विज्ञापि/स्थानान्तरण,

उत्तराखण्ड शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-201(A) /XXiv-2/2013-32 (01) /2013 देहरादून दिनोंक 21 मई 2013 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013" में उल्लिखित प्राविधानानुसार एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक /सेवायें-2/56033-38/स्थाना0/2013-14 दिनांक 31.10.2013 के अनुपालन में नियमावली की धारा-11 (3)(घ) मानसिक एवं शारीरिक रूप से विक्षिप्त बच्चों के चिकित्सा प्रमाण पत्रों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी से सत्यापन के उपरान्त निम्नांकित पात्र प्रवक्ता (सामान्य/महिला संवर्ग) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है। यदि किसी शिक्षक/शिक्षिका द्वारा कोई तथ्य छुपाया गया हो अथवा प्रस्तुत चिकित्सा प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है, तो सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका का स्थानान्तरण आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा एवं सम्बन्धित के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

प्रवक्ता-सामान्य संवर्ग

विषय:-भौतिक विज्ञान

क्र० सं०	अध्यापक/ अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री प्रवीन्द्र कुमार	रा0इ0का0 चमकोट (अगस्त्यमुनि)	रूद्रप्रयाग	रा0इ0का0 खदरी खड़गमाफ (डोईवाला)	देहरादून	रिक्त पद के प्रति

(नरेन्द्र सिंह राणा)

मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0)

गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पू0सं0/ सेवा0अरा0/ 19258-60 /3क(1)/स्था0/2013-14 दिनोंक तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 2 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 3 संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि प्रवक्ताओं के स्थानान्तरण आदेश संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों/प्रधानाचार्यों को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें तथा दिनांक 31.12.2013 तक कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
- 4 संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 5 संबंधित वित्त अधिकारी।
- 6 संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्डल (द्वारा संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी) को इस आशय से कि संबंधित शिक्षक/शिक्षिका को कार्यभार मुक्त एवं ग्रहण करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं अपने विकाखण्ड के कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें।
- 7 संबंधित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि वे संबंधित प्रवक्ता को कार्यमुक्त करने से पूर्व सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका से उनके विक्षिप्त बच्चों का चिकित्सा प्रमाण पत्र जो चिकित्सा परिषद से निर्गत हो, से प्रमाणित करने के उपरान्त छाया प्रति अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखें। साथ ही सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका के कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध करायें।
- 8 संबंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ प्रेषित।
- 9 कार्यालय आदेश पत्रिका।
- 10 संबंधित पत्रावली।

(नरेन्द्र सिंह राणा)

मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0)

गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

कार्यालय-मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवा0अरा0/

527

/3क(1)/स्था0/2013-14 दिनांक 14 नवम्बर 2013.

विज्ञापित/स्थानान्तरण,

उत्तराखण्ड शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-201(A)/xxiv-2/2013-32 (01) /2013 देहरादून दिनांक 21 मई 2013 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013" में उल्लिखित प्राविधानानुसार एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक/सवायें-2/56033-38/स्थाना0/2013-14 दिनांक 31.10.2013 के अनुपालन में नियमावली की धारा-11 (3)(ग) गम्भीर रूप से बीमार शिक्षक/शिक्षिकाओं के चिकित्सा प्रमाण पत्रों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी से सत्यापन के उपरान्त निम्नांकित पात्र प्रवक्ता (सामान्य/महिला संवर्ग) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद के प्रति स्थानान्तरित किया जाता है। यदि किसी शिक्षक/शिक्षिका द्वारा कोई तथ्य छुपाया गया हो अथवा प्रस्तुत चिकित्सा प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है, तो, सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका का स्थानान्तरण आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा एवं सम्बन्धित के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

प्रवक्ता (सामान्य संवर्ग)

विषय:-गणित

क0 सं0	अध्यापक/ अध्यापिका का नाम	कार्यरत विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम	जनपद का नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री जागेन्द्र विश्वास	रा0इ0का0 बौरिया (जखौली)	रूद्रप्रयाग	रा0इ0का0 उप्पू (थीलधार)	टिहरी गढ़वाल	रिक्त पद के प्रति
2	श्री मेवालाल वर्मा	घ0रा0इ0का0 मसूरी (सहसपुर)	देहरादून	रा0इ0का0 डोमालवाला (रायपुर)	देहरादून	रिक्त पद के प्रति

(नरेन्द्र सिंह राणा)

मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0)

गढ़वाल मण्डल, पौड़ी.

पू0सं0/ सेवा0अरा0/ 19188-96 3क(1)/स्था0/2013-14 दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 2 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, देहरादून।
- 3 संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि प्रवक्ताओं के स्थानान्तरण आदेश संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों/प्रधानाचार्यों को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें तथा दिनांक 31.12.2013 तक कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करावें।
- 4 संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 5 संबंधित वित्त अधिकारी।
- 6 संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी गढ़वाल मण्डल (द्वारा संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी) को इस आशय से कि संबंधित शिक्षक/शिक्षिका को कार्यभार मुक्त एवं ग्रहण करने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं अपने विकासखण्ड के कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण की संकलित सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित करें।
- 7 सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय से प्रेषित कि वे सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका के चिकित्सा एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रमाण पत्रों से जांच करने के उपरान्त अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखें तथा सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका से चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने वाली संस्था अथवा चिकित्सा परिषद से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा कि वह शिक्षण कार्य करने में सक्षम हैं, सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को कार्यमुक्त करना/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। साथ ही सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका के कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना इस कार्यालय को पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध करावें।
- 8 संबंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ प्रेषित।
- 9 कार्यालय आदेश पंजिका।
- 10 संबंधित पत्रावली।

(नरेन्द्र सिंह राणा)

मण्डलीय अपर निदेशक, (मा0शि0)

गढ़वाल मण्डल, पौड़ी.